आरक्षित

उच्च न्यायालय उत्तराखंड , नैनीताल

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 329 वर्ष 2017

अकबर एवं अन्य .....पुनरीक्षणवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री सिद्धार्थ साह, पुनरीक्षणकर्त्ता के अधिवक्ता।

श्री ललित मिगलानी, राज्य के ए. जी. ए.।

श्री कुर्बान अली, प्रत्यर्थी नं. 2 के अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय रविन्द्र मैठाणी, जे. (मौखिक)

इस पुनरीक्षण में चुनौती प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रुड़की, जिला हरिद्वार की न्यायलय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 199 सन 2013, राज्य बनाम मुस्लिम एवं अन्य ("मामला") में पारित आदेश दिनांकित 26-09-2017 को दी गई है। इसके द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 319 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमती सितारा ("सूचनाकर्त्ता") द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार किया गया

है और पुनरीक्षणकर्त्ता के साथ-साथ मौजूदा आरोपी को धारा 498A, 323, 324, 504, 506, 307, 120B भा.द.स और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. सूचनाकर्त्ता द्वारा 26.03.2013 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में मामले की उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार, सूचनाकर्त्ता और मुस्लिम की शादी प्राथमिकी दर्ज होने से करीब आठ साल पहले हुई थी। सूचनाकर्त्ता के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। सूचनाकर्त्ता को दहेज की मांग के लिए और उसके संबंध में प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता और अन्य लोगों ने उत्पीड़न किया और अतिरिक्त दहेज की मांग की। सूचनाकर्त्ता के पति के विवाहेतर संबंध थे। प्राथमिकी में काफी विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी दर्ज है कि 25.03.2013 को सुबह करीब 6:00 बजे सूचनाकर्त्ता को उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर मारने की कोशिश की। वास्तव में, प्राथमिकी में दर्ज है कि सूचनाकर्त्ता के पति ने उसे आग लगाने की कोशिश की थी। पुनरीक्षणकर्त्ताओं ने उस पर हमला भी किया। यह वह प्राथमिकी है, जिसमें शुरुआत में जांच के पश्चात तीन लोगों - मुस्लिम, मुमताज और इन्तेलाब के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन तत्पश्चात् अनवरी, फरजाना और गुलशन के विरुद्ध भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में उन पर विचारण चल रहा था।

4. गौरतलब है कि पुनरीक्षणकर्त्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, लेकिन उनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

5. संज्ञान लेने के चरण में, सूचनाकर्त्ता ने न्यायलय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया था कि पुनरीक्षणकर्त्ताओं को भी बुलाया जाए और उनके विरुद्ध भी संज्ञान लिया जाए। सूचना देने वाले का यह आवेदन 24.08.2013 को द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की, जिला हरिद्वार की अदालत द्वारा 2013 के आपराधिक मामले संख्या 3629, राज्य बनाम अनवरी और अन्य में खारिज कर दिया गया था। 24 अगस्त 2013 के इस आदेश को 2013 के आपराधिक संशोधन संख्या 395 में सूचनाकर्त्ता द्वारा अग्रेतर चुनौती दी गई थी, जिसे द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, रुड़की, जिला हरिद्वार की अदालत द्वारा 15 मार्च 2014 को खारिज कर दिया गया था। वह अध्याय तब बंद हो गया था।

6. इस मामले में सूचनाकर्त्ता पीडब्ल्यू1 श्रीमती सितारा का बयान 24.11.2016 को दर्ज किया गया था। तत्पश्चात, सूचनाकर्त्ता द्वारा संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया, जिसका मौजूदा अभियुक्तों ने विरोध किया। आक्षेपित आदेश द्वारा, पुनरीक्षणकर्त्ताओं को बुलाया गया है। इस आदेश को यहां चुनौती दी गई है।

7. पुनरीक्षणकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में पुनरीक्षणकर्त्ताओं के नाम थे, लेकिन विवेचना अधिकारी को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली। यह तर्क दिया जाता है कि

पुनरीक्षणकर्त्ता संख्या 2 श्रीमती फरमानी सूचनाकर्त्ता श्रीमती सितारा की भाभी हैं; पुनरीक्षणकर्त्ता नंबर 2 श्रीमती फरमानी विवाहित हैं और अपने पति समून, जो पुनरीक्षणकर्त्ता नंबर 3 हैं, के साथ दूसरे गांव में रहती हैं। पुनरीक्षणकर्त्ता नंबर 1 अकबर पुनरीक्षणकर्त्ता नंबर 2 श्रीमती फरमानी के ससुर हैं। यह तर्क दिया गया है कि उन्हें केवल उत्पीड़न के लिए फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि केवल पीडब्लू 1 श्रीमती सितारा के बयान के आधार पर, पुनरीक्षणकर्त्ताओं को मौजूदा अभियुक्तगणों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के कम कारण हैं।

8. अपनी दलील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एससीसी 92 के मामले में अधिकथित विधि के सिद्धांतों पर अवलम्ब किया है।

9. हरदीप सिंह (*पूर्वोक्त*) के मामले में, वास्तव में, संहिता की धारा 319 के लागू होने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रश्न तैयार किए गए थे। प्रश्न सं. (iv) **"संहिता की धारा 319 से शक्ति का अवलंब लेने के लिए अपेक्षित संतुष्टि की मात्रा क्या है"** और पैरा 106 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः-

> "106. इस प्रकार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से मात्र एक प्रथमदृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जिसका परीक्षण आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, **इसके लिए उसकी संलिप्तता की संभावना से कहीं अधिक**

मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप की विरचना के समय किए गए प्रथमदृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस सीमा तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि होगी। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, न्यायलय को दं.प्र.स.की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 दं.प्र.स. में प्रदान करने का उद्देश्य यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने अभियुक्त नहीं होने पर कोई अपराध किया है" शब्दों से स्पष्ट है "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को आरोपी के साथ मिलकर पेश किया जा सकता है।" इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं "जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके।" इसलिए, न्यायलय के पास दं.प्र.स. की धारा 319 के तहत अभियुक्त के दोष के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

(जोर दिया गया)

10. यह उल्लेखनीय है कि पैरा 117.5 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे का उत्तर निम्नलिखित रूप में दिया गया हैः-

"117.5. हालांकि धारा 319 (4) (बी) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को बाद में अभियुक्त माना जाना चाहिए जैसे कि वह एक अभियुक्त था जब अदालत ने शुरू में अपराध का संज्ञान लिया था, **संतोष की मात्रा जो किसी व्यक्ति को धारा 319 सीआरपीसी के तहत बुलाने के लिए आवश्यक होगी वह एक आरोप तय करने के समान ही होगी।** मूल अभियुक्त और बाद के

अभियुक्त को समन करने की संतुष्टि की मात्रा में अंतर इस तथ्य के कारण है कि मूल अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पहले ही शुरू हो सकता है और यह इस तरह के परीक्षण के दौरान है कि नए तलब किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सामग्री का खुलासा किया गया है।आरोपी को नए सिरे से समन करने से विचारण में विलम्ब होगी, इसलिए आरोपी (मूल और बाद में) को समन करने के लिए संतुष्टि की मात्रा अलग-अलग होनी चाहिए।

(जोर दिया गया)

11. दूसरी ओर, सूचनाकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणकर्त्ता भी उसके ससुराल में सूचनाकर्त्ता को परेशान और प्रताड़ित करते थे। विवेचना अधिकारी ने पुनरीक्षणकर्त्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, लेकिन पीडब्ल्यू1 श्रीमती सितारा ने पुनरीक्षणकर्त्ताओं के विरुद्ध कथन किया है। पीडब्ल्यू1 श्रीमती सितारा का बयान संहिता की धारा 319 के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्त्ताओं को बुलाने के लिए पर्याप्त है। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस स्तर पर, न्यायालय को साक्ष्य की व्याख्या या चर्चा नहीं करनी चाहिए। प्रथमदृष्टया मामला देखा जाना चाहिए।

12. सूचनाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि आक्षेपित आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है।

13. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।

14. ओम कुमार धनखड़ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2012) 11 एससीसी 252 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मत व्यक्त किया कि **" कानून की यह स्थिति होने के नाते, यह अभिनिर्धारित करना समुचित नहीं होगा कि प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देने वाला आदेश पूरी तरह से अंतर्वर्ती है और इसलिए, धारा 397 की उप-धारा (2) के तहत वर्जन लागू होगा। दूसरी ओर, इसे मध्यवर्ती या अर्ध-अंतिम माना जाना चाहिए और इसलिए, धारा 397 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उसी के विरुद्ध किया जा सकता है। "**

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उपर्युक्त विधि को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण पोषणीय है। प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 319 के तहत पुनरीक्षणकर्त्ताओं को बुलाने के लिए कोई सामग्री है?

16. आपराधिक मामले के विभिन्न चरणों में अलग-अलग मात्रा में संतुष्टि की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक सम्मन के चरण में, संतुष्टि का मानक "प्रथम दृष्टया मामला" है। किंतु जब आरोप विरचित किए जाते हैं तो अपेक्षित संतुष्टि का स्तर प्रथमदृष्टया मामले से थोड़ा अधिक होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंतिम चरण में अभियोजन पक्ष को मामले को तर्कसंगत संदेह से परे साबित करना होगा।

17. संहिता की धारा 319 के तहत, किसी व्यक्ति को वर्तमान अभियुक्त के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है। इसलिए, हरदीप सिंह (*पूर्वोक्त*) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 319

के तहत किसी व्यक्ति को समन करने की संतुष्टि पर साक्ष्य व्यक्ति की सहभागिता की मात्र संभावना से कहीं अधिक मजबूत होना चाहिए। परीक्षण प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, जैसा कि आरोप की विरचना के समय किया गया था, लेकिन इस सीमा तक संतुष्टि है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है तो दोषसिद्धि हो सकती है।

18. हरदीप सिंह (*पूर्वोक्त*) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 117.5 में जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, मूल अभियुक्त और पश्चात्वर्ती अभियुक्त को समन करने के लिए संतुष्टि की मात्रा में अंतर के कारण दिए हैं और निर्णय के अनुसार अंतर इस तथ्य के कारण है कि **"मूल अभियुक्त के विरुद्ध विचारण पहले ही आरंभ हो चुका है और यह ऐसे विचारण के दौरान है कि सामग्री नए समन किए गए अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट की जाती है। आरोपी को नए सिरे से समन करने से विचारण में विलम्ब होगा, इसलिए आरोपी को समन करने (मूल और बाद में) के लिए संतुष्टि की मात्रा अलग-अलग होनी चाहिए।"**

19. किसी व्यक्ति को समन करना कोई नियमित कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को बुलाने के लिए दो गवाह ला सकता है। बयानों की संभाव्यता किसी न किसी तरह देखी जानी चाहिए।

20. पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य (1998) 5 एससीसी 749 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह मत व्यक्त किया गया कि **"किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को समन करना एक गम्भीर मामला है। आपराधिक कानून को**

निश्चित रूप से गति में नहीं लाया जा सकता है।ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए मात्र दो गवाह लाने होंगे ताकि आपराधिक कानून को गति दी जा सके..... ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को समन करने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य के अभिलेखन के समय मूक दर्शक बना रहे। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी.....।"

21. के. सुब्बा राव और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 14 एस. सी. सी. 452 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि **"न्यायालयों को वैवाहिक विवादों और दहेज मृत्यु से संबंधित अपराधों में दूर के संबंधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय सावधान रहना चाहिए। पति के संबंधियों को सभी आरोपों के आधार पर तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट उद्धरण न दिए जाएं।"**

22. रमेश और अन्य बनाम तमिल नायडू राज्य, (2005) 3 एससीसी 507 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि **"उसकी भाभी के विरुद्ध लगाए गए बेबुनियाद अभिकथनों से यह प्रतीत होता है कि सूचनाकर्त्ता की चिंता यह है कि वह यथासंभव अधिक से अधिक पति के नातेदारों को साथ जोड़े।"**

23. गीता मेलरोत्रा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 741 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विधि पर चर्चा करते हुए यह मत व्यक्त किया कि **"लेकिन एक वैवाहिक विवाद में परिवार के सदस्यों के नाम का एक आकस्मिक संदर्भ, मामले में सक्रिय**

भागीदारी के आरोप के बिना, उनके खिलाफ संज्ञान लेने का औचित्य नहीं होगा अनुभव से उत्पन्न इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वैवाहिक विवाद में होने वाले घरेलू झगड़ों में घर के पूरे परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति होती है, खासकर अगर यह शादी के तुरंत बाद होता है।"

24. सूचनाकर्त्ता की शादी महमूदपुर गांव के निवासी मुस्लिम से हुई थी। जैसा कि बताया गया है, पुनरीक्षणकर्त्ता नंबर 2 श्रीमती फरमानी मुस्लिम की विवाहित बहन हैं। पुनरीक्षणकर्त्ता नंबर 1 अकबर उसका ससुर है और पुनरीक्षणकर्त्ता नंबर 3 समून उसका पति है। वे एक अलग गांव मकरबपुर के निवासी हैं। जहां तक पुनरीक्षणकर्त्ताओं का सवाल है, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। विवेचना अधिकारी को इसमें पुनरीक्षणकर्त्ताओं की संलिप्तता नहीं मिली। न्यायलय के समक्ष अपने बयान में, पीडब्ल्यू1 श्रीमती सितारा ने पुनरीक्षणकर्त्ताओं के विरुद्ध भी आरोप लगाए हैं, लेकिन वे भी सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं।

25. ये पुनरीक्षणकर्त्ता अलग-अलग गांवों के निवासी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पति की विवाहित बहन को फंसाने की चिंता में सूचनाकर्त्ता ने श्रीमती फरमानी, उनके पति और उनके ससुर का नाम लिया है। वे सभी पुनरीक्षणकर्त्ता हैं। पीडब्लू 1 श्रीमती सितारा का बयान पढ़ने से पुनरीक्षणकर्त्ताओं के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला भी नहीं बनता है। संतोष की मात्रा उससे अधिक होनी चाहिए। संतुष्टि होनी चाहिए, जो आरोप की विरचना के चरण में अपेक्षित है। लेकिन, वर्तमान मामले में भी इसकी कमी है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि

पुनरीक्षणकर्त्ताओं को समन करने का कोई कारण नहीं है। सूचनाकर्त्ता द्वारा दायर संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन निचली अदालत ने आवेदन को स्वीकार करके एक त्रुटि की। इसलिए, पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य है ।

26. पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।

27. आक्षेपित आदेश दिनांकित 26.09.2017 अपास्त किया जाता है। सूचनाकर्त्ता द्वारा संहिता की धारा 319 के तहत दाखिल किया गया आवेदन खारिज किया जाता है।

(रविन्द्र मैठाणी, जे।)
02.11.2022

जितेंद्र